2010:CGHC:159-DB

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

युगल पीठ : माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा, एवं

माननीय श्री आर.एन. चंद्राकर, न्यायाधीशगण

रिट याचिका क्रमांक 3029/06

याचिकाकर्ता : सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

बनाम

उत्तरवादी : मेसर्स शरद राइस इंडस्ट्रीज

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका क्रमांक 6047/06

याचिकाकर्ता : सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

बनाम

उत्तरवादी : मेसर्स हंडूलाल किशनलाल एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 6049/06

याचिकाकर्ता : सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

बनाम

उत्तरवादी : मेसर्स सुनील इंडस्ट्रीज

एवं

रिट याचिका क्रमांक 6146/06

याचिकाकर्ता : सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

बनाम

उत्तरवादी : मेसर्स किशोर ट्रेडर्स व अन्य

आदेश हेतु विचारार्थ प्रस्तुत

सही/-
धीरेंद्र मिश्रा
न्यायाधीश
05/03/2010

माननीय श्री आर.एन. चंद्राकर, न्यायाधीश

मैं सहमत हूं।

सही/-
आर.एन. चंद्राकर
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक08/03/2010 को आदेश के लिए सूचीबद्ध करें

सही/-
धीरेंद्र मिश्रा
न्यायाधीश
05/03/2010

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ : माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा, एवं

माननीय श्री आर.एन. चंद्राकर, न्यायाधीशगण

रिट याचिका क्रमांक 3029/06

याचिकाकर्ता : सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मेन रोड, धमतरी शहर, तहसील और जिला-धमतरी (छत्तीसगढ़)

बनाम

उत्तरवादी : मेसर्स शरद राइस इंडस्ट्रीज, द्वारा प्रो. श्री अनिल कुमार अग्रवाल, औद्योगिक क्षेत्र, बस स्टैंड के पीछे, धमतरी, (छत्तीसगढ़) एवं बस्तर रोड, धमतरी (छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका क्रमांक 6047/06

याचिकाकर्ता : सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मेन रोड, धमतरी शहर, तहसील और जिला-धमतरी (छत्तीसगढ़)

बनाम

उत्तरवादी : 1. मेसर्स हंदुलाल किशनलाल, बस्तर रोड, धमतरी, जिला धमतरी (छत्तीसगढ़)

2. किशनलाल अग्रवाल, पिता श्री हंदुलाल अग्रवाल..

3. अशोक कुमार अग्रवाल, पिता श्री हंदुलाल अग्रवाल।

उत्तरवादी क्रमांक 2 और 3 निवासी बस्तर रोड, धमतरी, जिला धमतरी (छत्तीसगढ)

रिट याचिका क्रमांक 6049/2006

याचिकाकर्ता : सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मेन रोड, धमतरी शहर, तहसील और जिला-धमतरी (छत्तीसगढ़)

बनाम

उत्तरवादी : मेसर्स नील इंडस्ट्रीज द्वारा प्रो. श्री सुनील कुमार अग्रवाल, औद्योगिक क्षेत्र, बस स्टैंड के पीछे, धमतरी, (छत्तीसगढ़) एवं बस्तर रोड, धमतरी (छत्तीसगढ़)

एवं

रिट याचिका क्रमांक 6047/06

याचिकाकर्ता : सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मेन रोड, धमतरी शहर, तहसील और जिला-धमतरी (छत्तीसगढ़)

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादी : 1. मेसर्स किशोर ट्रेडर्स, द्वारा प्रो. किशोर कुमार अग्रवाल, औद्योगिक वार्ड, धमतरी और स्टेशन रोड, धमतरी (छत्तीसगढ़),

2. मैसर्स हंदुलाल किशनलाल।

3. श्री किशनलाल अग्रवाल, पिता श्री हंदुलाल अग्रवाल।

4. श्री अशोक कुमार अग्रवाल, पिता श्री हंदुलाल अग्रवाल

उत्तरवादी क्रमांक 2 से 4 निवासी बस्तर रोड, धमतरी, जिला धमतरी(छत्तीसगढ़)

उपस्थित:

श्री बी.डी. गुरु, अधिवक्ता :सभी रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता की ओर से

श्री संजय के. अग्रवाल, अधिवक्ता: सभी रिट याचिकाओं में उत्तरवादी की ओर से

आदेश

(8 मार्च, 2010 को पारित)

धीरेंद्र मिश्रा, न्यायाधीश

1. उपरोक्त रिट याचिकाओं का निराकरण इस एक ही आदेश द्वारा किया जा रहा है क्योंकि इन याचिकाओं में शामिल विवाद्यक एक ही है। हालाँकि, इस आदेश के प्रयोजन के लिए, रिट याचिका क्रमांक 3029/2006 (सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम मेसर्स शरद राइस इंडस्ट्रीज) के तथ्यों का संदर्भ लिया गया है।

2. याचिकाकर्ता ने इस याचिका द्वारा निम्नलिखित तात्विक अनुतोष की प्रार्थना की है:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"i. यह कि, माननीय न्यायालय कृपया उत्प्रेषण रिट जारी कर डी.आर.ए.टी. इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.12.2005 (अनुलग्नक-पी/1) और डी.आर.टी. जबलपुर द्वारा पारित दिनांक 28.09.2001 (अनुलग्नक-पी/2) को अभिखंडित करने की कृपा करे।

ii. यह कि, न्याय हित में बैंक के अधिकारियों के विरुद्ध अधिकरण/अपीलीय अधिकरण द्वारा पारित अवक्षेप को कृपया विलोपित किया जाए/निरस्त किया जाए।"

3. संक्षेप में, मामले के तथ्य यह हैं कि उत्तरवादी-ऋणग्रहीता को चावल मिल के निर्माण और संयंत्र एवं मशीनरी की खरीद के लिए दिनांक 12.10.1987 को 6 लाख रुपये का ऋण और नकदी ऋण (आड़मान) के रूप में 5 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे।

उत्तरवादी-ऋणग्रहीता ने पुनर्भुगतान में चूक की। याचिकाकर्ता-बैंक ने ऋण खाते की शेष राशि पर 14.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित की

वसूली के लिए ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर (संक्षिप्त रूप में 'डी.आर.टी.') के समक्ष दिनांक14.8.2001 को एक मूल आवेदन अनुलग्नक-पी-4 के अनुसार प्रस्तुत किया।

उक्त कार्यवाही में, उत्तरवादी ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 (संक्षेप में '1993 का अधिनियम') की धारा 22 ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, सहपठित 1993 (संक्षेप में '1993 के नियम') के नियम 18 के अंतर्गत अनुलग्नक-पी/5 का आवेदन प्रस्तुत किया और याचिकाकर्ता बैंक को उत्तरवादी के खाते में 'एकमुश्त समझौता योजना' (संक्षेप में 'ओ.टी.एस. योजना') के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (संक्षेप में 'आर.बी.आई.') के दिशानिर्देशों का पालन करने और उन्हें लागू करने का निर्देश जारी करने या बैंक को उक्त वसूली आवेदन में बकाया 8,20,000/- रुपये का समझौता करने और आर.बी.आई. दिशानिर्देशों का लाभ देने का निर्देश देने का अनुरोध किया। अपने जवाबदावा (अनुलग्नक-पी/6) में बैंक ने अनुलग्नक-पी-7 के चरणबद्ध पद्धति के अनुसार खाते का समझौता न्यूनतम राशि 50,98,983/- रुपये पर करने की इच्छा व्यक्त की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. डी.आर.टी. ने उत्तरवादी-ऋणग्रहीता को बैंक द्वारा की गई गणना के अनुसार दिनांक 31.3.1992 तक की स्थिति में बकाया राशि के पूर्ण और अंतिम समायोजन 8,20,000/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया, क्योंकि खाते को दिनांक 31.3.1992 को 'गैर निष्पादित परिसंपत्ति' (एन.पी.ए.) के रूप में वर्गीकृत किया गया था और इसलिए, दिनांक 20.7.2000 के आर.बी.आई. दिशानिर्देशों का लाभ उत्तरवादी ऋणग्रहीता को दिया जाना चाहिए। हालांकि, डी.आर.टी. द्वारा बैंक के अधिकारियों के विरुद्ध आक्षेपित आदेश में कुछ अवक्षेप/टिप्पणियां भी की गई हैं।

5. बैंक ने ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, इलाहाबाद (संक्षेप में 'डी.आ.रए.टी.') के समक्ष 1993 के अधिनियम की धारा 20 और 17 के अंतर्गत अपील प्रस्तुत की, हालांकि, अपील को अनुलग्नक-पी-1 के आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दी गई है।

6. याचिकाकर्ता बैंक के विद्वान अधिवक्ता श्री गुरु ने तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ अधिकरणों ने यह अवधारित करने में विधि और अधिकारिता की त्रुटि की है कि आर.बी.आई. ओ.टी.एस. योजना प्रवर्तनीय है और बैंक को समझौते के माध्यम से बैंक द्वारा मांगी गई राशि से कम राशि के लिए समझौता करने का निर्देश दिया जा सकता है। डी.आर.टी. यह समझने में विफल रहा कि उत्तरवादी-ऋणग्रहीता के मामले को आर.बी.आई. ओ.टी.एस. योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, हालांकि बैंक का रुख यह था कि खाता दिनांक 31.3.1992 को एन.पी.ए. हो गया था। यह भी तर्क दिया गया कि दोनों खातों में क्रमशः 1994 और 1995 तक ब्याज का भुगतान किया गया था। ओ.टी.एस. योजना के लिए आर.बी.आई. के दिशानिर्देश बैंक विनियमन अधिनियम की धारा 21 और 35 के अंतर्गत सांविधिक शक्तियों के अंतर्गत जारी नहीं किए गए हैं और इसलिए, उक्त दिशानिर्देश सांविधिक परिपत्र / दिशानिर्देश/निर्देशों की प्रकृति के नहीं हैं तथा इसका बन्धनकारी प्रभाव नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि डी.आर.टी. ने 1993 के अधिनियम की धारा 19 के आज्ञापक प्रावधानों का पालन किए बिना ही आक्षेपित आदेश पारित कर दिया। उत्तरवादी-ऋणग्रहीता ने मूल आवेदन का जवाबदावा दाखिल नहीं किया, हालाँकि, 1993 के अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर निर्णय लेते समय मूल आवेदन का निराकरण कर दिया गया, जो विधि के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नाहर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनाम हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन[1] मामले में दिए गए निर्णय का अवलंब लिया हैं।

7. इसके विपरीत, उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री अग्रवाल ने तर्क दिया कि रिट याचिका में उठाया गया एकमात्र विवाद्यक आर.बी.आई. द्वारा जारी ओ.टी.एस. योजना के संबंध में है। यह स्थापित विधि है कि ओ.टी.एस. योजना के संबंध में आर.बी.आई. द्वारा जारी दिशानिर्देशों को सांविधिक बल प्राप्त है और वे न्यायालयों और अधिकरणों द्वारा प्रवर्तनीय हैं। योजना के अंतर्गत राशि एन.पी.ए. राशि होनी चाहिए और वर्तमान मामले में, इसका निर्धारण बैंक द्वारा स्वयं किया गया है, जो अनुलग्नक-आर/5 और आर/14 के दस्तावेजों से स्पष्ट है। अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि उत्तरवादी का खाता दिनांक 31.3.1992 को एन.पी.ए. के रूप में वर्गीकृत किया गया था और एक बार खाता एन.पी.ए. के रूप में वर्गीकृत हो जाने के बाद, आर.बी.आई. के दिशानिर्देशों के अनुसार खाते से कोई ब्याज नहीं काटा जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और आक्षेपित आदेशों का अवलोकन किया है।

9. याचिकाकर्ता-बैंक द्वारा 1993 के अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत उत्तरवादी के विरुद्ध शुरू की गई वसूली कार्यवाही में, उत्तरवादी ने 1993 के अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत 1993 के नियम 8 के साथ एक आवेदन प्रस्तुत किया और कहा कि बैंक के साथ उसका खाता दिनांक 31.3.1992 को 'एन.पी.ए.' के रूप में चिह्नित किया गया था और दिनांक 31.3.1997 से पहले इसे 'खराब ऋण' के रूप में वर्गीकृत किया गया था। चूंकि खाते को दिनांक 31.3.1997 से पहले 'एन.पी.ए.' के रूप में चिह्नित किया गया था,

---

[1] 12009 AIR SCW 6262

इसलिए उत्तरवादी आर.बी.आई. की ओ.टी.एस. योजना का लाभ प्राप्त करने का हकदार था। उत्तरवादी को आर.बी.आई. के दिशानिर्देशों के अनुसार बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया था। अंत में, आर.बी.आई. के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्भुगतान की शर्तों पर दृढ़ता से सहमति हुई और उत्तरवादी ने बताया कि समझौता राशि का 25% भी एफडीआरएस के रूप में जमा किया गया था। समझौता के लिए खाते को आगे संशोधित किया गया: 8,20,000/- रुपये पर और बैंक ने अपने पत्र दिनांक 28.6.2001 (अनुलग्नक-आर-14) के माध्यम से उपरोक्त समझौता का अनुशंसा किया।

10. संबंधित पक्षकारों के परस्पर विरोधी तर्कों के आधार पर डी.आर.टी. द्वारा निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किए गए;

"1. क्या उत्तरवादी क्रमांक 1 का खाता 31 मार्च 1992 को एन.पी.ए. घोषित किया गया था? क्या उत्तरवादियों को आर.बी.आई. योजना का लाभ दिया जा सकता है ?

2. क्या आवेदक बैंक के बकाया का समझौता आर.बी.आई. के दिशानिर्देशों के अनुसार आवेदक बैंक द्वारा स्वयं की गई गणना के आधार पर किया जा सकता है ?

3. क्या आर.बी.आई. के दिशानिर्देश न्यायालयों/अधिकरणों द्वारा प्रवर्तनीय हैं और क्या बैंक आर.बी.आई. के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं ?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. बैंक द्वारा स्वयं तैयार किए गए, अभिलेखों में उपलब्ध निर्विवाद दस्तावेजों और मूल आवेदन के कंडिका-10 में दिए गए कथनों पर भरोसा करते हुए, यह अभिनिर्धारित गया है कि खाता दिनांक 31.3.1992 को 'एन.पी.ए.' के रूप में वर्गीकृत किया गया था और इसलिए, आर.बी.आई. के दिनांक 20.7.2000 के परिपत्र का लाभ उत्तरवादी को दिया जाना चाहिए। यह भी

अभिनिर्धारित किया गया है कि आर.बी.आई. ने अपने परिपत्र दिनांक 20.7.2000 के माध्यम से उन ऋणग्रहीताओं को भी यही छूट देने का निर्णय लिया है जिनके खाते दिनांक 31.3.1997 से पहले एन.पी.ए. के रूप में वर्गीकृत किए गए थे। इस योजना को अंततः दिनांक 30.6.2001 तक बढ़ा दिया गया और दिनांक 30.9.2001 तक आवेदनों पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया। योजना के अंतर्गत समझौता के प्रावधानों को लागू करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि खाते को दिनांक 31.3.1992 को एन.पी.ए. के रूप में चिह्नित किया गया था और दिनांक 31.3.1997 से पहले इसे 'संदिग्ध खाते' के रूप में वर्गीकृत किया गया था, इसलिए उत्तरवादी के खाते का ओ.टी.एस. योजना के अंतर्गत समझौता किया जा सकता है। चूंकि बैंक ने दिनांक 31.3.1992 को शेष राशि की गणना 8,20,000/- रुपये पर की है, इसलिए आवेदक आर.बी.आई. के दिशानिर्देशों के आलोक में उपरोक्त राशि के लिए अपने बकाये का समझौता करने के लिए बाध्य है और उत्तरवादी को आवेदक को 8,20,000/- रुपये का पूर्ण और अंतिम भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। आवेदक बैंक के बकाये के समझौता के लिए आर.बी.आई. योजना में प्रदान की गई शर्तों पर उपर्युक्त वसूली आवेदन में वसूली के लिए प्रार्थना की गई थी। उपरोक्त राशि के भुगतान पर, बैंक आड़मान रखे गए स्टॉक को छोड़ देगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंक आर.बी.आई. के दिशानिर्देशों से बंधे हैं और ये न्यायालयों और अधिकरणों द्वारा प्रवर्तन कराये जाने योग्य हैं। इस प्रकार, सभी तीन विवाद्यक का निर्णय उत्तरवादी-ऋणग्रहीता के पक्ष में और बैंक के विरुद्ध किया गया।

अंत में, डी.आर.टी. ने यह भी अवधारित किया कि उत्तरवादी का मामला आर.बी.आई. ओ.टी.एस. योजना के अंतर्गत आने के बावजूद,

ओ.टी.एस. योजना का लाभ ऋणग्रहीता को नहीं दिया गया, जो बैंक अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न के समान है, और उन्होंने अपने बकाये की वसूली के लिए वर्तमान आवेदन प्रस्तुत करने का विकल्प चुना है और इस प्रक्रिया में आवेदन प्रस्तुत करने और अन्य विधिक और आनुषंगिक प्रभारों में लगभग 90,000/- रुपये खर्च किए हैं, जो लोकधन के अपव्यय के समान है।

12. डी.आर.टी. द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता बैंक द्वारा प्रस्तुत अपील को भी इसी आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है और डी.आर.ए.टी. ने यह अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता बैंक का यह तर्क कि आर.बी.आई. के दिनांक 20.7.2000 के दिशानिर्देशों का कोई सांविधिक प्रभाव नहीं है क्योंकि वे बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 21 और 35 के अंतर्गत जारी नहीं किए गए हैं, इसलिए, कोई बल नहीं रखते है और चूँकि याचिकाकर्ता बैंक ने स्वयं स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि खाता दिनांक 31.3.1992 को 'संदिग्ध खाता' बन गया था, इसलिए उन्हें खाते को एन.पी.ए. के रूप में वर्गीकृत करने के अपने रुख को बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। याचिकाकर्ता बैंक की टिप्पणी/अवक्षेप को निकालने संबंधी प्रार्थना भी अस्वीकार कर दी गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. याचिकाकर्ता बैंक के विद्वान अधिवक्ता श्री गुरु ने, अधीनस्थ अधिकरणों के समक्ष बैंक द्वारा उठाए गए आधारों के अलावा, 1993 के अधिनियम की धारा 22 सहपठित 993 के नियमों के नियम 8 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर विचार करते समय बैंक के मूल आवेदन के समझौता में डी.आर.टी. द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर भी हमला करने की कोशिश की है, इस आधार पर कि यह 1993 के अधिनियम की योजना से असंबद्ध है, हालांकि, याचिकाकर्ता बैंक द्वारा अधीनस्थ अधिकरणों के समक्ष ऐसी कोई आपत्ति नहीं ली गई थी।

नाहर औद्योगिक उद्यम लिमिटेड के मामले में निर्णय के कंडिका 22 से 27 का उल्लेख करते हुए, यह जोरदार ढंग से तर्क दिया गया कि 1993 के अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक ढांचे में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि डी.आर.टी. का गठन सार्वजनिक क्षेत्र, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से संबंधित बड़ी मात्रा में सार्वजनिक धन की वसूली की सुविधा के लिए किया गया है, जो लंबित मुकदमों में फंसी हुई है। अधिकरणों के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, वित्तीय संस्थानों द्वारा बकाया राशि की वसूली के लिए आवेदन दाखिल करने पर, उत्तरवादियों को अधिनियम, 1993 की धारा 19 की उप-धारा (7) के अंतर्गत परिकल्पित लिखित कथन दाखिल करना आवश्यक है, जिसमें प्रत्याक्षेप/प्रतिदावा प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है, और अधिकरण को अधिनियम 1993 की धारा 19 की उप-धारा (9) के अंतर्गत अंतिम आदेश पारित करके मूल और प्रतिदावा दोनों का निर्णय करना है। हालांकि, वर्तमान मामले में उत्तरवादी ने मूल आवेदन पर कोई जवाब दाखिल किए बिना, अधिनियम, 1993 की धारा 22 सहपठित 1993 के नियम, 1993 की नियम 8 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया और डी.आर.टी. ने उक्त आवेदन पर आदेश पारित करते हुए मूल आवेदन का भी निराकरण कर दिया, जो विधि के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. अधिनियम, 1993 की धारा 22 में अधिकरण और अपीलीय अधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियों का प्रावधान है, जो इस प्रकार है:-

> 22. अधिकरण और अपील अधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियां (1) अधिकरण और अपील अधिकरण, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा अधिकथित प्रक्रिया से आबद्ध नहीं होंगे किन्तु वे नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और इस अधिनियम के और किन्हीं नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते

हुए, अधिकरण और अपील अधिकरण को अपनी प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत वे स्थान हैं जिन पर उनकी बैठकें होंगी, विनियमन करने की शक्तियां होंगी।

(2) अधिकरण और अपील अधिकरण को, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित विषयों की बाबत वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात् :-

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्रों पर साध्य ग्रहण करना;

(घ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(ङ) अपने विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना;

(च) किसी आवेदन को व्यतिक्रम के लिए खारिज करना या उसका एक पक्षीय रूप से विनिश्चय करना;

(छ) किसी आवेदन को व्यतिक्रम के लिए खारिज करने के किसी आदेश को या अपने द्वारा एक पक्षीय रूप से पारित किसी आदेश को अपास्त करना;

(ज) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

(3) किसी अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष कोई कार्यवाही, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में और धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

समझी जाएगी और अधिकरण या अपील अधिकरण, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

15. नियम 1993 का नियम 8 आवेदन की विषय-वस्तु से संबंधित है।

16. 1993 के अधिनियम की धारा 22 को पढ़ने से ही यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ अधिकरण, सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं हैं और वे केवल अधिनियम और किसी भी नियम के प्रावधानों के अधीन, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होते हैं। वे अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसमें वे स्थान भी शामिल हैं जहाँ उनकी बैठकें होंगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. इस मामले में, उत्तरवादी ने याचिकाकर्ता बैंक द्वारा 1993 के अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत प्रस्तुत मूल आवेदन पर उसके द्वारा दिए गए आधारों पर आपत्ति जताई थी। डी.आर.टी. ने उत्तरवादी द्वारा उठाई गई आपत्ति के आधार पर, विवाद्यक तैयार किए और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर निर्णय दिया और इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि उत्तरवादी का खाता दिनांक 31.3.1992 को एन.पी.ए. खाता घोषित किया गया था, जिसे खराब ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया था। दिनांक 31.3.1992 तक शेष राशि की गणना बैंक द्वारा 8,20,000/- रुपये के रूप में की गई है और इसलिए बैंक आर.बी.आई. के दिशानिर्देशों के आलोक में उपरोक्त राशि के लिए अपने उधार देय ऋण का समझौता करने के लिए बाध्य है।

18. 1993 के अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता बैंक द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन पर निर्णय लेते समय डी.आर.टी. द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं है।

19. हमारे समक्ष विचारणीय अगला प्रश्न यह है कि क्या डी.आर.टी. और डी.आ.रए.टी. का यह मानना उचित था कि ओ.टी.एस. योजना के लिए आर.बी.आई. के दिशानिर्देश न्यायालयों/अधिकरणों द्वारा प्रवर्तित कराए जा सकते हैं और बैंक इन दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं?

20. उपरोक्त विवाद्यक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ***सरदार एसोसिएट्स एवं अन्य बनाम पंजाब एवं सिंध बैंक एवं अन्य***[2] के मामले में दिए गए अपने नवीनतम निर्णय में विचारार्थ आया था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सें***ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम रविंद्र***[3] के मामले में दिए गए संविधान पीठ के निर्णय के कंडिका 15 का उल्लेख करते हुए अपने निर्णय के कंडिका-32 में इस प्रकार विचार व्यक्त किया :

> "32. यदि कोई सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किसी भी दिशानिर्देश से अन्यथा बाध्य है, तो हमें कोई कारण नहीं दिखता कि उसे अधिकरण और परिणामस्वरूप अपीलीय अधिकरण द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लागू क्यों नहीं किया जा सकता। यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ अपीलार्थियों ने प्रत्यर्थियों बैंक द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय को अभिखंडित करने की प्रार्थना की हो।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. ***ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स बनाम सुंदर लाल जैन और अन्य***[4] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की युगलपीठ ने अपने निर्णय के कंडिका-8 में यह विचार व्यक्त किया कि यह निर्णय संविधान पीठ द्वारा ***सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया*** के मामले में दिए गए निर्णय को ध्यान में रखे बिना लिया गया था और अंत में कंडिका-42 में इस प्रकार अवधारित किया :-

---

2(2009) 8 SCC 257
3(2002) 1 SCC 367
4(2008) 2 SCC 280

"42. यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किसी ऋणग्रहीता को कोई अधिकार प्रदान किया जाता है, तो हमें कोई कारण नहीं दिखता कि परमादेश रिट जारी क्यों न की जाए। हम मानेंगे, जैसा कि श्री सिंह ने तर्क दिया है, कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय ऐसा निर्देश जारी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी राय में, इसका यह अर्थ नहीं होगा कि उच्च न्यायालय अपीलीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करके सही होगा, जो ऐसे एकमुश्त समझौता के प्रभाव पर विचार करने का अधिकारी था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. ***सरदार एसोसिएट्स*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद, हमारा विचार है कि डी.आर.टी. के साथ-साथ डी.आ.रए.टी. भी आर.बी.आई. की ओ.टी.एस. योजना से होने वाले प्रभाव पर विचार करने के अधिकारी थे। अभिलेख में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, डी.आर.टी. ने अभिनिर्धारित किया कि उत्तरवादी का खाता दिनांक 31.3.1992 को एन.पी.ए. घोषित किया गया था और दिनांक 31.3.1997 से पहले इसे 'संदिग्ध खाता' के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसलिए, खाते का समझौता ओ.टी.एस. योजना के अंतर्गत किया जा सकता है और बैंक को दिनांक 31.3.1992 को बैंक द्वारा गणना की गई शेष राशि, 8,20,000/- रुपये का भुगतान किए जाने पर खाते का समझौता करने का निर्देश दिया गया। अपील में डी.आ.रए.टी. ने इस निष्कर्ष की पुष्टि की। चूँकि उपरोक्त तथ्य अभिलेख में उपलब्ध सामग्री पर आधारित हैं, इसलिए इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

23. हालांकि, डी.आर.टी. द्वारा याचिकाकर्ता बैंक के अधिकारियों के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी पारित करना उचित नहीं था, जिन्होंने उत्तरवादी ऋणग्रहीता के विरुद्ध वसूली आवेदन प्रस्तुत करने का निर्णय लिया और वह भी ऐसे अधिकारियों को कोई नोटिस दिए बिना और उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना। याचिकाकर्ता बैंक इस सद्भावनापूर्ण विश्वास के अंतर्गत कि आर.बी.आई. द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देश केवल बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए आंतरिक दिशानिर्देशों की प्रकृति के हैं और इस तरह, कार्यकारी निर्देश और ऐसे कार्यकारी निर्देशों का कोई सांविधिक बल नहीं है और वे ऋणग्रहीताओं के पक्ष में कोई अधिकार सृजित नहीं करते हैं, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***सुंदर लाल जैन*** में अभिनिर्धारित किया है के अनुसार, वसूली के लिए कार्यवाही शुरू की। इसलिए, डी.आर.टी. के आदेश के अंतिम कंडिकाओं में बैंक के अधिकारियों के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणियां/अवक्षेप किया, जिसे बाद में डी.आ.रए.टी. द्वारा पुष्टि की गई, बिल्कुल अनुचित थी और यह विलोपित/हटा दिए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. परिणामस्वरूप, याचिकाओं का निराकरण निम्नलिखित शर्तों के अनुसार किया जाता है:-

i. डी.आ.रए.टी. द्वारा पारित अनुलग्नक-पी/1 के आदेश दिनांक 19.12.2005 को अभिखंडित करने के लिए याचिकाकर्ता बैंक की प्रार्थना, जिसमें डी.आर.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.9.2001 (अनुलग्नक-पी-2) के की पुष्टि की गई थी, निरस्त की जाती है।

ii. डी.आर.टी. द्वारा बैंक के अधिकारियों के विरुद्ध दिनांक 28.9.2001 (अनुलग्नक-पी-2) के अपने आदेश में पारित अवक्षेप, जिसकी बाद में डी.आर.ए.टी. ने आदेश दिनांक 19.12.2005 (अनुलग्नक-

पी-1) के द्वारा पुष्टि की गई थी, को एतद्द्वारा विलोपित किया जाता है।

25. व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

सही/–
धीरेंद्र मिश्रा
न्यायाधीश

सही/–
आर.एन. चंद्राकर
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated by : Vinay Awasthi, Advocate